राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका नं. 17086/2022

अनिल पालीवाल पुत्र श्री चिरंजी लाल पालीवाल, आयु लगभग 57 वर्ष, 2, श्री नाथ अस्पताल के पीछे, राजरतन कॉम्प्लेक्स, नया नवरतन, उदयपुर, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य राजस्थान, जरिये सचिव , उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, प्रथम तल, मुख्य भवन, सरकारी सचिवालय, जयपुर - 302005, राजस्थान।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, ब्लॉक-lv, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 302015, राजस्थान।

3. संयुक्त निदेशक (आरवीईएस), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, ब्लॉक-lV, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302015, राजस्थान।

4. प्राचार्य, सरकारी महाविद्यालय, खेरवाड़ा, उदयपुर।

-----प्रत्यर्थीगण

<u>से सम्बद्ध</u>

एस.बी. सिविल रिट याचिका नं. 13163/2022

डॉ. अनिल पालीवाल पुत्र श्री चिरंजी लाल पालीवाल, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी 2, श्री नाथ अस्पताल के पीछे, राजरतन कॉम्प्लेक्स, नया नवरतन, उदयपुर, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य राजस्थान,जरिये सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, प्रथम तल, मुख्य भवन, सरकारी सचिवालय, जयपुर 302005, राजस्थान।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, ब्लॉक-IV, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302015, राजस्थान।

3. संयुक्त निदेशक (आरवरेस), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, ब्लॉक -IV, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302015, राजस्थान।

4. प्राचार्य, सरकारी महाविद्यालय, खेरवाड़ा, उदयपुर।

-----प्रत्यर्थीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका नं. 14767/2023

डॉ. अनिल पालीवाल पुत्र श्री चिरंजी पाल पालीवाल, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी 2, श्री नाथ अस्पताल के पीछे, राजरतन कॉम्प्लेक्स, नया नवरतन, उदयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य राजस्थान, जरिये सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, प्रथम तल, मुख्य भवन, सरकारी सचिवालय, जयपुर-302005, राजस्थान।

2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, ब्लॉक-IV, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302015, राजस्थान।

3. संयुक्त निदेशक (आरवीआरईएस), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, ब्लॉक-IV, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान।

4. प्राचार्य, सरकारी कॉलेज, खेड़वाड़ा, उदयपुर।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : डॉ. निखिल डुंगावत

प्रत्यर्थी(गण) के लिए : श्री प्रियांशु गोपा

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

01/04/2025

1. चूंकि उपर्युक्त शीर्षक वाली याचिकाओं में एक समान विवाद्यक और तथ्य अंतर्वलित है, इसलिए इस सामान्य आदेश के माध्यम से उनका निस्तारण किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तीन रिट याचिकाएं प्रस्तुत की जा चुकी है अर्थात्:-

2.1. एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14767/2023, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 07.09.2023 के आदेश (अनुलग्नक-23) को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 05.05.2022 से "सेवा से पदत्याग दे दिया गया माना गया"निर्णीत किया गया था।

2.2. एस.बी. सिविल रिट याचिका सं.17086/2022 द्वारा 22.04.2022 के आदेश को चुनौती देते हुए जिसमें, याचिकाकर्ता को "कार्य व्यवस्था" के लिये कार्यभार ग्रहण हेतु रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया और उसे शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कर्तव्य दिए गए, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया।

2.3. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13163/2022, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता का मई, 2022 माह से वेतन जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

3. तथ्यात्मक विवरण एस.बी. सिविल रिट याचिका नं.14767/2023 से लिया गया है, जिसमें 07.09.2023 तिथि के आदेश (अनुलग्नक-23) को चुनौती दी गई है जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 86(4)(a) के अंतर्गत पारित किया गया था (संक्षेप में, 'आरएसआर नियम') जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति को समझा गया इस्तीफा माना गया।

3.1. याचिकाकर्ता को सरकारी अनुदान-प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद, उसे सरकारी सेवा में आमेलित किया गया।

3.2. प्रत्यर्थीगण ने 22.04.2022 के आदेश के माध्यम से पांच सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को बी.एड. संकाय सदस्यों को कॉलेज शिक्षा आयुक्त के कार्यालय में रिपोर्ट करने हेतु कार्यभार मुक्त करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता को अन्य शिक्षकों के साथ ही 22.04.2022 को कार्यभार मुक्त किया गया। उसने सेवा पदग्रहण अवधि(योगकाल) का उपभोग करने के बाद 04.05.2022 को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया। हालाँकि, उसी दिन ही, उसने व्यक्तिगत अत्यावश्यकता के कारण मुख्यालय अवकाश के लिए आवेदन किया, साथ ही प्रस्तुत करते हुए कि वह अपने लिए अनुमत उपयुक्त अवकाश के लिए आवेदन करेगा।

3.3. तत्पश्चात, दिनांक 05.05.2022 के पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने उसे ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रदान करने का अनुरोध किया, जब वह सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर के कार्यालय में कार्यरत था। याचिकाकर्ता को 05.05.2022 को एक कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसमें उससे पूछा गया कि उसने ड्यूटी के लिए देरी से रिपोर्ट क्यों किया। याचिकाकर्ता ने 07.05.2022 को अपना विस्तृत स्पष्टीकरण दिया।

3.4. याचिकाकर्ता को अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 17.05.2022 का एक और कारण बताइये नोटिस प्राप्त हुआ कि अवज्ञा के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न आरम्भ की जाये। याचिकाकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण दिनांक 18.05.2022 के पत्र द्वारा और दिनांक 19.05.2022 को भी दिया।

3.5. चूँकि याचिकाकर्ता की पदग्रहण अवधि और टीए/डीए की स्वीकृति के साथ-साथ ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रदान करने संबंधी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ था, इसलिए उसने एक रिट याचिका संख्या 8290/2022 दायर

की, जिसका निस्तारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2022 के आदेश के माध्यम से किया गया, जिसमें प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 26.05.2022 को प्रस्तुत अभ्यावेदन को तय करने का निर्देश दिया गया।

3.6. उपरोक्त वर्णित याचिकाकर्ता की शिकायतों के अलावा, प्रत्यर्थीगण द्वारा मई, 2022 माह से याचिकाकर्ता का वेतन रोक दिया गया था। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 13163/2022 प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17086/2022 भी दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 22.04.2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा उसे कार्य व्यवस्था के लिए कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया था और शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कर्तव्य सौंपे गए थे, जिसे उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। दिनांक 22.11.2022 को, इस न्यायालय ने नोटिस जारी किए और मामला आगे के न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है।।

3.7. याचिकाकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत दिनांक 12.12.2022 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 05.05.2022 से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने 18.12.2022 को एक विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया जिसमें

3.8. दिनांक 29.05.2023 को याचिकाकर्ता को पुनः एक पत्र जारी किया गया, जिसमें उसे सात दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया और यह कहा गया कि विफल रहने की स्थिति में 1951 के नियमों के नियम 86 के तहत कार्रवाई आरंभ की जाएगी। याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.05.2023 के पत्र के माध्यम से इसका उत्तर

दिया।।

3.9. प्रत्यर्थीगण ने अंततः 1951 के नियमों के नियम 86(4) के तहत दिनांक 07.09.2023 को एक आदेश पारित किया, जिसमें 05.05.2022 से ड्यूटी से अनुपस्थिति का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को सेवा से इस्तीफा दे दिया गया माना गया समझा गया। अतः, इसी (आदेश) को चुनौती दी गई है।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क दिया है कि राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के प्रख्यापन के साथ, बीएड संकाय में कार्यरत कर्मचारियों को विकल्प प्रपत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था और तत्पश्चात उन्हें राज्य सेवा में नियुक्तियाँ दी गई थीं। बीएड सरकारी कॉलेज खुलने के बाद, याचिकाकर्ता को बीएड संकाय में शिक्षण कार्य करने हेतु राजकीय महाविद्यालय, खेरवाड़ा में पदस्थापित किया गया था। याचिकाकर्ता राजकीय महाविद्यालय, खेरवाड़ा में अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा, लेकिन बीएड पाठ्यक्रम चलाने के लिए आवश्यक मानकों को पूरा न करने के कारण, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 27.08.2019 से सभी 5 सरकारी कॉलेजों में बीएड पाठ्यक्रम चलाने की मान्यता रद्द कर दी गई थी।

4.1. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, बीएड संकाय में नए प्रवेश नहीं दिए जा सके और राजकीय महाविद्यालय, खेरवाड़ा में शिक्षण कार्य रुक गया। राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत बीएड संकाय के कर्मचारियों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अन्य विषयों के शिक्षण कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके पास यूजीसी विनियमों के अनुसार आवश्यक पात्रता

नहीं थी और चूंकि ऐसे कर्मचारियों को शिक्षण कार्य की अनुमति देना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें प्रशासनिक कार्य के निष्पादन हेतु कार्य व्यवस्था के तहत आयुक्तालय में पदस्थापित किया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता को प्रशासनिक कार्य करने के लिए कार्य व्यवस्था के तहत तैनात किया गया था, जिसके लिए प्रत्यर्थीगण आरवीआरईएस नियमों के नियम 5(iii)) के अनुसार उसकी सेवाएँ लेने के लिए पूरे हकदार हैं।

4.2. आरवीआरईएस नियमों के नियम 5(iii) के अनुसार, सरकार में समकक्ष पद उपलब्ध न होने की स्थिति में, किसी कर्मचारी को सहायता प्राप्त पद के समान वेतनमान वाले किसी अन्य पद पर पदस्थापित किया जा सकता है और याचिकाकर्ता ने इससे अवगत होते हुए ही आरवीआरईएस कैडर के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। ।

4.3. दिनांक 22.04.2022 के आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता को उसी दिन कार्यमुक्त कर दिया गया था, किंतु याचिकाकर्ता ने दिनांक 04.04.2022 को आयुक्तालय में अपनी ड्यूटी पुनः ग्रहण की और उसके पश्चात बिना किसी पूर्व अनुमति के तथा बिना अवकाश स्वीकृत कराए ही मुख्यालय छोड़ दिया और दिनांक 05.05.2022 से निरंतर अनुपस्थित है। इसके अतिरिक्त, आयुक्तालय में कोई ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं होता है और इस प्रकार, सभी कर्मचारियों को उस अवधि के दौरान कार्यालय में उपस्थित रहना पड़ता है तथा याचिकाकर्ता जानबूझकर बिना पूर्व स्वीकृति के साथ-साथ सरकारी आदेश की घोर अवहेलना करते हुए अनुपस्थित रहा, जो अनुशासनहीनता और कदाचार की श्रेणी में आता है।

4.4. इस न्यायालय द्वारा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 8290/2022 में दिए गए निर्देश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर सम्यक विचार किया

गया और याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण काल तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश का पात्र नहीं पाया गया; और चूंकि याचिकाकर्ता बिना अनुमति लिए 05.05.2022 से मुख्यालय से जानबूझकर अनुपस्थित रहा, अतः उसके अभ्यावेदन को आदेश दिनांक 02.11.2022 के द्वारा खारिज कर दिया गया ।

4.5. तत्पश्चात, याचिकाकर्ता को कर्तव्य पर उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए, इसके बावजूद याचिकाकर्ता ऐसा करने में विफल रहा और याचिकाकर्ता को सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके फलस्वरूप आरएसआर के नियम 86 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए पत्र दिनांक 31.05.2023 जारी किया गया था, लेकिन जानबूझकर की गई अनुपस्थिति के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी ने नियम 86 के प्रावधानों का अवलम्ब लेते हुए याचिकाकर्ता को सेवा से इस्तीफा दिया हुआ मानने का आदेश उचित रूप से पारित किया। अतः, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने उभय पक्षों के तर्कों को सुना है, जो उनकी अपनी याचिकाओं और अभिवचनों में लिए गए आधारों के अनुरूप हैं, तथा मामले की पत्रावली का परिशीलन किया है।

6. सर्वप्रथम, याचिकाकर्ता के उस दावे से संबंधित संविवाद का निस्तारण किया जाए कि उसे अवैध रूप से गैर-शैक्षिक कर्मचारी के कर्तव्यों का दायित्व सौंपा गया। शिक्षक होने के कारण उसे उक्त कार्य नहीं सौंपे जा सकते थे। तथापि, उसे उक्त कार्य करने के लिए विवश किया गया।

6.1. इस संबंध में, आरवीआरईएस. नियमों के नियम 5 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो निम्नानुसार है :-

"5. सरकारी सेवा में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नियम व शर्तें। गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में नियमित रूप से नियुक्त वर्तमान कर्मचारी, जो इन नियमों के प्रारंभ की तिथि पर स्वीकृत सहायता प्राप्त पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं, उन्हें निम्नलिखित शर्तों एवं नियमों पर राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) कर्मचारी के पास संबंधित पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक और वृत्तिक योग्यताएँ होनी चाहिए, जैसा कि सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार समान संवर्ग के सरकारी कर्मचारी पर लागू है।

(ii) जिन पदों पर कर्मचारियों को सरकार में नियुक्त किया जाएगा वे प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक पृथक डाइंग संवर्ग का गठन करेंगे।

(iii) नियुक्त कर्मचारियों को, यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों/विद्यालयों में ही, अनुसूची के कॉलम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट समकक्ष पदों पर पदस्थापित किया जाएगा। तथापि, यदि सरकार में ऐसा कोई समकक्ष पद उपलब्ध न हो, तो उन्हें सहायता प्राप्त पदों के समान वेतनमान वाले अन्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

परंतु यह कि प्रधानाचार्य (आरवीआरएसईएस), व्याख्याता (आरवीआरएसईएस), पीटीआई (आरवीआरएसईएस) या पुस्तकालयाध्यक्ष (आरवीआरएसईएस) के पद ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों में नियुक्ति हेतु उपलब्ध न होने की दशा में, प्रधानाचार्य (आरवीआरएसईएस), व्याख्याता (आरवीआरएसईएस), पीटीआई (आरवीआरएसईएस) या पुस्तकालयाध्यक्ष (आरवीआरएसईएस) को निम्न पूर्विकता क्रम में नगरपालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में पदस्थापित किया जा सकता है:

1. /V नगरपालिका श्रेणी क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय;

2. /// नगरपालिका श्रेणी क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय;

3. // नगरपालिका श्रेणी के क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय;

और जब भी ग्रामीण क्षेत्र के किसी महाविद्यालय में पद उपलब्ध हो, तब नगरपालिका क्षेत्र में पदस्थापित व्यक्ति को उक्त ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। नगरपालिका क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में पदस्थापित व्यक्तियों का ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित क्रम में स्थानांतरण किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) प्रथम रूप से //नगरपालिका श्रेणी के क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों से

(ii) द्वितीय रूप से /// नगरपालिका के क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों से;

(iii) तृतीय रूप से /V नगरपालिका श्रेणी के क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों से

परंतु यह भी कि गैर-शैक्षिक कर्मचारी के मामले में, जिन्हें महाविद्यालय शिक्षा अनुभाग में गैर-शैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु स्क्रीनिंग की गई है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापन हेतु पद उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति को इन नियमों द्वारा शासित किसी अन्य विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में किसी समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय में कार्यग्रहण की तिथि से ही नए विभाग में नियुक्त माना जाएगा।।

(iv) इन नियमों के अधीन नियुक्त कर्मचारियों को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक किसी भी पदोन्नति का अधिकार नहीं होगा। तथापि, उन्हें राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान आश्वस्त कैरियर प्रगति/कैरियर उन्नयन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। स्वीकृत एवं अनुदानित पदों पर उनकी नियुक्ति की तिथि से की अवधि को आश्वस्त कैरियर प्रगति/कैरियर उन्नयन योजना के लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से गणना में लिया जाएगा।।

(v) पद स्वतः ही उत्सादित कर दिये जायेंगे जब भी वे किसी भी कारणवश रिक्त हों, अर्थात् आधिवार्षिकी/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवा का पर्यवसान/सेवा के दौरान मृत्यु/कर्मचारी का पदत्याग इत्यादि।

(vi) इन नियमों के अधीन सरकार में कार्यग्रहण करने की तिथि से, नियुक्त सभी कर्मचारियों का वेतन, नियुक्ति के समय आहरित वेतन के आधार पर, छठे वेतन आयोग के अनुसार नियत किया जाएगा। जो कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1998, राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय महाविद्यालय शिक्षकों, जिनमें पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पीटीआई सम्मिलित हैं, के लिए संशोधित वेतनमान) नियम, 1999 तथा राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के लिए संशोधित वेतनमान) नियम, 2001 के अंतर्गत वेतन आहरित कर रहे हैं, उन्हें क्रमशः राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008, राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय महाविद्यालय शिक्षकों, जिनमें पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पीटीआई सम्मिलित हैं, के लिए संशोधित वेतनमान) नियम, 2009 तथा राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के लिए संशोधित वेतनमान) नियम, 2010 का लाभ, इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पश्चात सरकार में कार्यग्रहण करने की तिथि से, क्रमशः प्रदान किया जाएगा।

(vii) किसी भी प्रकार के किसी भी मद के बकाया (जिसमें वेतन का बकाया, चयन वेतनमान, आश्वस्त कैरियर प्रगति या कैरियर उन्नयन योजना सम्मिलित हैं) का भुगतान राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन नियुक्ति के उपरांत उनके द्वारा सरकार में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्व की अवधि के लिए नहीं किया जाएगा।।

(viii) विशेषाधिकार अवकाश के शेष को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्मचारी संबंधित सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से

विशेषाधिकार अवकाश के शेष के नकदीकरण का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(ix) इन नियमों के तहत सरकारी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को 'राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005' के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा और 'राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996' के प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे। यदि गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इन नियमों के तहत नियुक्ति के बाद सरकार में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्व की अवधि के लिए अंशदायी भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं किया गया है, तो उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा

(x) सहायता प्राप्त संस्थानों में सेवा की अवधि को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नहीं गिना जाएगा। कर्मचारी संबंधित सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(xi) प्रत्येक कर्मचारी को प्रपत्र-// में एक वचनबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा, कि वह स्वेच्छा से इन नियमों के तहत निर्धारित सेवा के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता/करती है और सरकार की सेवा में आधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में सेवा करने के लिए सहमत है ।"

नियम 5(iii) के परिशीलन से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अत्यावश्यकता की दशा में जैसा आवश्यक हो, तो एक शैक्षिक कर्मचारी को गैर-शैक्षिक पद पर भी समायोजित किया जा सकता है बशर्ते उसकी प्रास्थिति और वरिष्ठता से समझौता न हो और उसे वही वेतन दिया जाए जो उसे शैक्षिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने की दशा में दिया जाना था।

उस विस्तार तक, याचिकाकर्ता का यह दावा कि गैर-शैक्षिक पद पर कार्य करने से इनकार करना उसका अधिकार है, केवल खारिज किए जाने योग्य है।

7. याचिकाकर्ता के तर्क की ओर आते हुए कि उसे पदत्याग किया गया माना नहीं बरता जा सका, सर्वप्रथम उपयोज्य नियम अर्थात् आरएसआर नियमों के नियम 86 को देखते है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

> *"86. अवकाश की अवधि समाप्ति के बाद अनुपस्थिति:- (1) एक सरकारी कर्मचारी जो अवकाश के बिना या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन किए गए अवकाश को स्वीकृत किए जाने से पूर्व ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, उसे जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा और ऐसी अनुपस्थिति सेवा में व्यवधान मानी जाएगी, जिसमें पिछली सेवा का समपहरण शामिल होगा, जब तक कि संतोषजनक कारण प्रस्तुत किए जाने पर, देय अवकाश प्रदान करके अनुपस्थिति को नियमित न कर दिया जाए या अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे असाधारण अवकाश में रूपांतरित न कर दिया जाए*
>
> *(2) (a) एक सरकारी कर्मचारी जो स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद या अवकाश विस्तार की अस्वीकृति की सूचना मिलने के बाद ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, वह ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी भी वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा और ऐसी अनुपस्थिति की अवधि को असाधारण अवकाश में रूपांतरित कर दिया जाएगा, जब तक कि संतोषजनक कारण प्रस्तुत किए जाने पर, अवकाश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा देय अवकाश प्रदान करके अनुपस्थिति की अवधि को नियमित न कर दिया जाए ।*
>
> *(b) अवकाश की समाप्ति के बाद जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थिति एक सरकारी कर्मचारी को आनुशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाती है।*

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) और (2) में निहित प्रावधानों के होते हुए भी अनुशासन प्राधिकारी उस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई आरम्भ कर सकता है जो जानबूझकर एक माह से अधिक अवधि तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है और यदि उसके विरुद्ध ड्यूटी से जानबूझकर अनुपस्थिति का आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है।

(4) किसी भी सरकारी कर्मचारी को पांच वर्षों से अधिक की निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

एक सरकारी कर्मचारी को सेवा से इस्तीफा दे दिया माना जाएगा यदि वह,-

(a) स्वीकृत अवकाश या अनुमति की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष से अधिक की अवधि तक बिना अनुमति के अनुपस्थित है, या

(b) यदि वह ड्यूटी से ऐसी निरंतर अवधि के लिए अनुपस्थित है जो पांच वर्षों से अधिक है भले ही अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि एक वर्ष से कम ही क्यों न हो, या

(c) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक विदेशी सेवा पर निरंतर:

परंतु कि ऐसी अनुपस्थिति या विदेशी सेवा के निरंतर रहने का कारण स्पष्ट करने का एक यथोचित अवसर संबंधित सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा इससे पहले कि इस उप-नियम का प्रावधान लागू किया जाए।"

उपर्युक्त का परिशीलन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केवल तीन आकस्मिकताएं हैं, जिनमें एक सरकारी कर्मचारी को सेवा से इस्तीफा दिया हुआ माना जाएगा :-

(i) यदि वह स्वीकृत अवकाश या अनुमति की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष से अधिक की अवधि तक बिना अनुमति के अनुपस्थित है, या

(ii) यदि वह ड्यूटी से ऐसी निरंतर अवधि के लिए अनुपस्थित है जो पांच वर्षों से अधिक है भले ही अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि एक वर्ष से कम ही हो, या

(iii) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक विदेशी सेवा पर निरंतर:

7.1. उपर्युक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता अपने कर्तव्य से अनुपस्थिति को राजस्थान सेवा नियम (आरएसआर) के नियम 86 के अन्तर्गत मान्य इस्तीफा माना जाने के निर्णय को चुनौती देता है, यह दावा करते हुए कि यह नियम केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही लागू होता है—अर्थात्, जब कोई सरकारी कर्मचारी स्वीकृत अवकाश या अनुमति की समाप्ति के बाद एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है, लगातार पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, या अनुमोदित अवधि से अधिक विदेशी सेवा पर रहता है। नियम 86(4) के अन्तर्गत मानने का प्रावधान सख्ती से उपर्युक्त परिस्थितियों तक ही सीमित है और उसे पूर्व अवकाश या स्वीकृति के बिना परित्याग के मामलों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान उन मामलों में एक गैर-दण्डात्मक समाधान के रूप में कार्य करता है जहाँ सरकारी कर्मचारी ने अवकाश प्राप्त करने के बावजूद लंबे समय तक वापस नहीं लौटा। तथापि, सेवा का अवैध/अनधिकृत परित्याग, जो अनुशासनहीनता और अवज्ञा का कृत्य है, को मान्य इस्तीफा मान लेना ऐसे आचरण को अनुमोदित अवकाश के बाद प्रक्रियात्मक

अनुपालन की अवहेलना के समकक्ष अनुचित रूप से समतुल्य कर देगा, और प्रभावतः किसी ऐसे व्यक्ति को शिथिल निकास दे देगा जिसने सेवा अनुशासन के मूल नियमों की अनदेखी की। अतः मेरा मत है कि याचिकाकर्ता के मामले में नियम 86 के अन्तर्गत मान्य इस्तीफा लागू करने की शर्तें पूरी नहीं होतीं।

सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं कि ऐसा मानने का प्रावधान केवल उन ही मामलों में लागू किया जा सकता है, जिनमें सरकारी कर्मचारी स्वीकृत अवकाश या अनुमति की समाप्ति पर अनुपस्थित रहा हो और वह भी तब जब स्वीकृत अवकाश की समाप्ति पर अनुपस्थिति एक वर्ष की अवधि के लिए हो।

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने कभी किसी अवकाश या अनुपस्थिति हेतु अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया, न ही उसे किसी अवकाश या अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई।

7.2. चाहे जो भी हो , स्वीकृत स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता ने 04.05.2022 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपने कार्यभार को सामान्य रूप से त्याग दिया और फिर कभी ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं की। वास्तव में, नियमों में दिए गए कारण ठोस तर्क पर आधारित हैं कि यदि स्वीकृत अवकाश या अनुमति का उल्लंघन होता है, तो सक्षम प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का पूरा कारण होता है कि लंबी अवधि बीत जाने के कारण, जिसमें सरकारी कर्मचारी ने काम पर रिपोर्ट नहीं की है, उसकी वापस जुड़ने में रुचि समाप्त हो गई होगी और इस प्रकार, कोई कठोर या दंडात्मक उपाय करने के बजाय, उसे उक्त नियमों के तहत मानित त्यागपत्र का लाभ दिया जा सकता है। हालांकि, ऐसे मामले में जहां सरकारी कर्मचारी बिना सूचना

दिए या पूर्व स्वीकृति मांगे बिना अपने पद को सामान्य रूप से त्याग देता है, उसे उस अन्य व्यक्ति पर कोई अधिमान नहीं दिया जा सकता जो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है, अपना अवकाश स्वीकृत कराता है या आवश्यक अनुमति लेता है, लेकिन उसके पश्चात एक वर्ष या उससे अधिक समय तक काम पर रिपोर्ट करने में असमर्थ रहता है या रिपोर्ट नहीं करता है ।

7.3. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने 04.05.2022 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपने कार्यभार को सामान्य रूप से त्याग दिया और फिर कभी ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं की। वस्तुस्थिति को विशुद्ध रूप से कानूनी दृष्टिकोण से देखने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में सार प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को मानित रूप से त्यागपत्र दिया हुआ मानने के लिए आरएसआरनियमों के नियम 86 की प्रयोज्यता हेतु निर्धारित शर्तें पूरी नहीं हुई थीं ।

8. जैसा कि उपर्युक्त देखा गया है, मैं यहाँ शीघ्र जोड़ना चाहूँगा कि तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता 05.05.2022 से प्रभावी रूप से अनुपस्थित रहा बिना किसी अवकाश या अनुमति के लिए आवेदन किए। इसके लिए, उसके विरुद्ध कानून/नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है और की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, सरकारी कर्मचारी की अनुशासनहीनता को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थिति के लिए सीसीएनियमों के नियम 17 के अन्तर्गत कानून के अनुसार उपयुक्त रूप से निपटाया जाना चाहिए। सीसीएनियमों का नियम 17 निम्नलिखित के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है :-

"17. लघु दंड लगाने की कार्यविधि. – (1) नियम 14 के उपबंध (i) से(iiii) में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने का कोई आदेश तब तक

पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि –

(a) सरकारी कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव और उन आरोपों के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाता है जिनके आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित है, और उसे कोई भी अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाता है जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो;

(aa) प्रत्येक ऐसे मामले में नियम 16 में निर्धारित तरीके से जाँच करना, जिसमें वेतन वृद्धि को तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रोकने, या किसी भी अवधि के लिए संचयी प्रभाव से रोकने, या इस प्रकार रोकने का प्रस्ताव हो जिससे उसे देय पेंशन की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी जाँच आवश्यक है;

(b)अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा खंड (क) के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे अभ्यावेदन, यदि कोई हो, और खंड (कक) के तहत आयोजित जाँच के रिकॉर्ड, यदि कोई हो, पर विचार किया जाता है;

(c) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी को अपना पक्ष समझाने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाता है, यदि उसके द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त की गई हो;

(d) उन मामलों में आयोग से परामर्श किया जाता है जहाँ ऐसा परामर्श आवश्यक हो।

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में निम्नलिखित शामिल होंगे:–

(i) सरकारी कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव की सूचना की एक प्रति; (ii) उसे संसूचित किए गए आरोपों के विवरण की एक प्रति; (iii) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो; (iv) जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य; (v) प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष; (vi) आयोग की सलाह, यदि कोई हो; तथा (vii) मामले पर आदेश और उसके साथ उनके कारण।"

उक्त नियम 17 के आलोक में, यदि याचिकाकर्ता का कदाचार सिद्ध हो जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा

उचित शास्ति अधिरोपित की जाएगी। इसलिए, याचिकाकर्ता को दिनांक 12.12.2022 के कारण बताओ नोटिस अनुलग्नक-20 जारी करने में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है, जिसमें उससे यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

9. याचिकाकर्ता ने दिनांक 22.04.2022 के आदेश को चुनौती देते हुए एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17086/2022 दायर की है, जिसके द्वारा उसे 'कार्य व्यवस्था' के लिए कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया था और शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कर्तव्य सौंपे गए थे, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था। इस संबंध में, प्रत्यर्थीगण का विशिष्ट पक्ष यह है कि आरवीआरईएस नियमों के नियम 5(3) के अनुसार, सरकार में समकक्ष पद न होने की स्थिति में, एक कर्मचारी को सहायता प्राप्त पद के समान वेतनमान वाले किसी अन्य पद पर तैनात किया जा सकता है और याचिकाकर्ता ने इस तथ्य से अवगत होते हुए ही आरवीआरईएस कैडर के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। चूंकि विभाग के कॉलेज में बी.एड. का कोई शिक्षण कार्य संचालित नहीं किया जा रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता को कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के तहत कार्य व्यवस्था के अंतर्गत तैनात किया गया है। ऐसी कार्य व्यवस्था के विरुद्ध किसी विशिष्ट निषेध का न तो उल्लेख किया गया है और न ही अन्यथा न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है। अतः, दिनांक 22.04.2022 के आलौच्य आदेश की चुनौती को खारिज किया जाता है।

10. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थीगण को मई, 2022 के महीने से याचिकाकर्ता का वेतन जारी करने का निर्देश देने के लिए एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13163/2022 दायर की है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता बिना किसी अवकाश या अनुमति के

आवेदन किए दिनांक 05.05.2022 से अनुपस्थित रहा और वर्तमान में भी अनुपस्थित है, जिसके लिए वह कानून/नियमों के अनुसार कार्यवाही किए जाने के योग्य और उत्तरदायी है। जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, दिनांक 12.12.2022 के कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक-20) जारी करने में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है, जिसमें याचिकाकर्ता से यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि ड्यूटी से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के लिए उसके विरुद्ध सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इसका परिणाम यह है कि प्रत्यर्थीगण उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस स्तर पर, 05.05.2022 से उसकी अनुपस्थिति की अवधि के लिए याचिकाकर्ता को वेतन भुगतान करने का कोई निर्देश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ।

11. उपर्युक्त आधार पर, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17086/2022 और एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13163/2022 को खारिज किया जाता है, जबकि एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14767/2023 को आंशिक रूप से इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि दिनांक 07.09.2023 के आलौच्य आदेश को अपास्त किया जाता है, साथ ही प्रत्यर्थीगण को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत जारी दिनांक 12.12.2022 के कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक-20) के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करें और कानून के अनुसार आगे का निर्णय लें ।

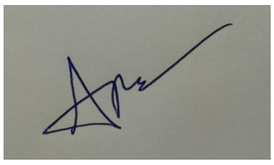
12. सभी लंबित आवेदन भी निस्तारित कर दिए जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

147-149-एसपी/-

रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हां / नहीं

अस्वीकरण– इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



आदित्यप्रताप सिंह निरवान